



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर 305002



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES OFFICE OF
REGIONAL CONTROLLER OF MINES
Makhupura Ind. Area, Ajmer - 305002

संख्या: राज/उदय/सीसा-जस्ता-04/खण्ड-3

खानकोड 34RAJ26006

दिनांक : 01-07-2022

सेवामें,

श्री देवान्शु चैटर्जी, खान एजेंट,
मेसर्स हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड,
जावर खान, पोस्ट जावर, तहसील सारडा,
उदयपुर-313901

विषय: राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले के सारडा-गिरवा तहसील के जावर गांव में स्थित आपकी बरोई सीसा-जस्ता खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 03.06.2022 को डॉ. शशि भूषण शुक्ला, प्रमुख भूविज्ञान एवं श्री उपेन्द्र रूपोलु, खान प्रबन्धक की उपस्थिति में उपरोक्त खान का निरीक्षण किया गया था और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया है।


नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
13(1)	The mining operations in the lease area are not carried out as per modified mining plan approved vide letter No. 584(4)(3)(1868)/2021 RCOM Ajmer dated 15.07.2021 and following deviations are observed during inspection. (b) It was planned & proposed to achieve a recovery of 95% from stopes. It is observed during inspection of mine that production of ROM ore from the BK2N, 2C, K2, Haran Magra, AK2E stopes is reported from 127% to 144% during last two years and deviation is too much from the planned targets of approved modified mining plan.
45(5)(a)	Following deficiencies are observed in the annual returns of the mine submitted for the year 2021-22 in Form H-5. (d) No data is filled in the above ground for the items (ii) Workers in any attached factory, workshop or mineral dressing plant and might have been included & provided in the item-others.

03. उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 45(7)(a) के अन्तर्गत खान में सभी खनन संक्रियाएँ बन्द करने का आदेश भी जारी किया जा सकता है।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की जानकारी इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

o/c



01.07.22

(गिरीश कुमार जांगिड)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक

प्रतिलिपी सूचनार्थ :

- 1 खान नियंत्रक (उ. आ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर
2. खनिअभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर- 313001

o/c


01.07.22

(गिरीश कुमार जांगिड)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक